

## कार्यालय-जिला कार्यक्रम अधिकारी, रायबरेली।

पत्रांक C-1148 / जि०का०अधि० / सुकन्या स०यो० / 2022-23      दिनांक:- 15-12-2022  
समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी / प्रभारी,  
जनपद-रायबरेली।

मुख्य विकास अधिकारी रायबरेली कार्यालय पत्रांक-507, दिनांक-14.12.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार की बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं अभियान के अन्तर्गत डाक विभाग द्वारा बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिये वर्ष 2015 से सुकन्या समृद्धि योजना के अन्तर्गत शून्य से दस वर्ष की बालिकाओं का सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा रहा है। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं का डाटा आंगनबाड़ी केन्द्र के पास उपलब्ध है। इस डाटा के मदद से आंगनबाड़ी केन्द्र में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यक्रियों के सहयोग से पात्र बालिकाओं के अभिभावकों से सम्पर्क कर सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया जाना है। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्र संख्या सी-1061, दिनांक-24.11.2022 के माध्यम से पात्र बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि खाते खोलकर योजना से लाभान्वित कराने के निर्देश दिये गये थे।

अतः उक्त के क्रम में आप समस्त को पुनः निर्देशित किया जाता है कि परियोजना के अन्तर्गत समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत 10 वर्ष से कम उम्र की समस्त बालिकाएं जो सुकन्या समृद्धि योजना के अन्तर्गत पात्र हैं। उन सभी लाभार्थियों के अभिभावकों को सम्बन्धित मुख्य सेविका एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के माध्यम से प्रेरित कर सम्पूर्ण सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोलकर इस योजना से लाभान्वित कराना सुनिश्चित करें। सम्पूर्ण सुकन्या समृद्धि योजना से लाभान्वित बालिकाओं की सप्ताहिक सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

इस सम्बन्ध में आप समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,  
रायबरेली।

पृष्ठांकन सं० / तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, रायबरेली।
2. मुख्य विकास अधिकारी, महोदया, रायबरेली।
3. अधीक्षक डाकघर, रायबरेली।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,  
रायबरेली।